



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

परिपत्र सं 01/2018

शिलांग दिनांक 29 अगस्त, 2018

विषय: मूल प्रमाणपत्र के रेट्रोएक्टिव सत्यापन- संबंधी ।

1. इस कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 08.05.2015 का परिपत्र सं 01/2015 का संदर्भ देखें। उक्त परिपत्र के तहत उप/सहायक आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंदर व्यापार समझौते के तहत आयात के मामलों में "मूल नियम" के कुछ प्रमाणपत्रों का चयन करने के लिए (सीओओ) यादृच्छिक रूप से उत्पत्ति आयात के बंदरगाह / एलसीएस मूल्यांकन शाखा सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को भेजे बदले में उन्हें निर्यात देश के साथ रेट्रोएक्टिव सत्यापन के लिए अनुरोध बोर्ड को भेज देंगे।
2. बोर्ड ने सूचित किया है कि विभिन्न फिल्ड फॉर्मेशन विभिन्न एफटीए के तहत सीओओ के सत्यापन के संबंध में सीधे विदेशी प्रशासन के साथ संचार कर रहे हैं। इसके अलावा, सीओओ के सत्यापन के लिए बोर्ड कार्यालय में किए गए अनुरोध अधिकतर अधूरे पाए जाते हैं क्योंकि बोर्ड के निर्देश संख्या 31/2016- सीमा शुल्क दिनांक 12/09/2016 के संदर्भ में नहीं किया जाता है।
3. सीधे विदेशी प्रशासन को फिल्ड लेखन को बोर्ड द्वारा सख्ती से लिया गया है। सीओओ के सत्यापन के संबंध में किसी भी प्रकार कि सूचना केवल बोर्ड कार्यालय से प्राप्त होने पर किया जाना चाहिए और यदि कोई ऐसी सूचना सीधे विदेशी प्रशासन से क्षेत्रीय गठन द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उसे तत्काल बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।
4. बोर्ड के दिनांक 12.09.2016 के निर्देश संख्या 31/2016 सीमा शुल्क के अनुसार सभी सत्यापन अनुरोधों को निदेशक (आईसीडी) को संबोधित किया जाना चाहिए, ऐसे उल्लेखित सटीक कारण का हवाला देते हुए, यह दोहराया जाता है कि ऐसे किसी भी अनुरोध को मुख्यालय कार्यालय, शिलांग के माध्यम से संबोधित हो जहां मूल्यांकन शाखा बोर्ड को आगे संचरण के लिए संसाधित करेगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध सलग्न/अनुलग्नक के साथ भेजे जाएं, ताकि व्यापार सुविधा का मामला बाधित न हो। इसी तरह, विदेशी प्रशासन से प्राप्त किसी भी सत्यापन अनुरोध को बोर्ड आयुक्तालय कार्यालय के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक होगा।
5. इस परिपत्र का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(बंदना देवरी)

आयुक्त

C.No. VIII (48)09/CUS/TECH/MISC/-EXP-IMP/2018/15502-22 'A'

dated

29 AUG 2018

प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग ।
2. आयुक्त, सी जीएसटी आयुक्तालय, अगरतला / आइजल /दिमापुर/ डिब्रूगढ़/गुवाहाटी/ इम्फाल/ ईटानगर/शिलांग
3. उप आयुक्त /करीमगंज /इम्फाल /गुवाहाटी /दिमापुर/धुबरी/आइजल /सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला / शिलांग ।
4. अधीक्षक , मूल्यांकन शाखा , सीमा शुल्क , शिलांग
5. अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस स्थायी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करे ।
8. गार्ड फाइल

वजीम

(वजीम मुस्तफा)
सहायक आयुक्त(तकनीकी)